रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 167] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 1979/ज्येष्ठ 11, 1901

No. 167] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 1979/JYAISTHA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 338 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, माल को, जब उनका भारत में किसी मेला, प्रदर्शनी, निदर्शन, सेमीनार, कांग्रेस और सम्मेलन के संबंध में आयात किया जाए, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से और उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देती है, किन्तु उसकी शर्त यह है कि :—

(1) माल की निकासी के समय सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को वाणिज्य मंत्रालय या भारत व्यापार मेला प्राधिकरण का इस आशय का एक प्रमाण पत्र पेश किया जाएगा कि यथास्थिति ऐसा मेला, प्रदर्शनी, निदर्शन, सेमीनार, कांग्रेस अथवा सम्मेलन—

(क) यथास्थिति, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारत व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित किया गया है ;

(ख) लोकहित में आयोजित किया जा रहा है ;

(ग) सर्वसाधारण के लिए या सर्वसाधारण के किसी ऐसे विशेष वर्ग के लिए जिसका इससे संबंध है, खुला है ;

(2) आयातकर्ता, सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में बंधपत्र या लिखत का निष्पादन करके यह बचन देता है कि वह यथाशक्ति, ऐसे मेले, प्रदर्शनी, निदर्शन, सेमीनार, कांग्रेस या सम्मेलन के अधिकृत रूप से बंद होने की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, माल का पुनः निर्यात करेगा और पूर्वोक्त रूप में पुनर्निर्यात न करने पर उतने शुल्क का संदाय करेगा जितनी यदि उसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो उस पर उद्ग्रहीत की जाती :

परन्तु इस शर्त में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्निर्यात की अपेक्षा व्ययनीय या विकारीय प्रकृति के माल को लागू नहीं होगी, यदि सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो जाए कि ऐसा माल वास्तव में रद्दी हो गया है या उसका उपयोग यथा-स्थिति, ऐसे मेले, प्रदर्शनी, निदर्शन, सेमीनार, कांग्रेस

या सम्मेलन के रखरखाव में कर दिया गया है, और ऐसे मामले में जहां माल रद्दी हो गया है किन्तु उसका उपयोग नहीं किया है, वहां ऐसा माल या तो सीमा-शुल्क प्राधिकरण को अर्पित कर दिया जाता है या किसी सीमा-शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाता है :

परन्तु यह और कि पोस्टरों, पुस्तिकाओं, सूचीपत्रों, पुस्तकों या पैम्फलेटों की प्रकृति की किसी विज्ञापन या प्रचार सामग्री का उपयोग निःशुल्क वितरण के लिए किया जाता है और यदि उसे इस प्रकार वितरित नहीं किया जाता है तो इस शर्त में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यातकर्ता द्वारा उसका पुनर्निर्यात किया जाता है और किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा उसका विक्रय नहीं किया जाता है ।

(3) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) का आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 द्वारा या उसके अधीन जहां भी अपेक्षित हो ऐसी विधिमान्य आयात व्यापार नियंत्रण अनुज्ञप्ति या ऐसा सीमाशुल्क निकासी अनुज्ञापत्र जिसके अंतर्गत प्रश्नगत माल आता है, माल की निकासी के समय सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को दिया जाएगा।

(4) माल को समुचित रूप से सूचीबद्ध और पहचान करने के लिए उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जिसे सीमाशुल्क कलक्टर विहित करे ।

स्पष्टीकरण : इस अनुसूची में "माल" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं —

(क) (1) विज्ञापन और प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, पुस्तिकाएं, सूचीपत्र, पुस्तकें और पैम्फलेट ; और

(2) विज्ञापन और निदर्शन संबंधी सामग्री (जो संप्रदर्शित विदेशी माल के लिए निदर्शनीय प्रचार सामग्री है) जैसे ध्वनि अंकन, फिल्में और लैंटर्न स्लाइडें, साथ ही साथ उनके साथ उपयोग के लिए उपकरण ;

(ख) संप्रदर्शित की जाने वाली विदेशी मशीनरी या उपकरण के निदर्शन के प्रयोजन के लिए आवश्यक माल ;

(ग) उपस्कर इसके अन्तर्गत इंटरप्रेशन यंत्र और ध्वनि अंकन उपकरण भी आते हैं ;

(घ) प्रदर्शकों के अस्थायी स्टैन्डों के सन्निर्माण और सजावट की सामग्री और विद्युत फिटिंगें ।

[सं. 116/फा.सं. 464/26/77-सीमाशुल्क-5]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 338(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods, when imported into India in connection with any Fair, Exhibition, Demonstration, Seminar, Congress and Conference, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the conditions that —

(i) a certificate from the Ministry of Commerce or the Trade Fair Authority of India is produced to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the goods to the effect that such Fair, Exhibition, Demonstration, Seminar, Congress, or, as the case may be, Conference —

(a) has been approved or sponsored by the Ministry of Commerce, or the Trade Fair Authority of India, as the case may be;

(b) is being held in public interest; and

(c) is open to the general public or to a particular section of the general public for which it has relevance;

(ii) the importer undertakes through the execution of a bond or an instrument to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to re-export the goods within a period of six months from the date of official closure of such Fair, Exhibition, Demonstration, Seminar, Congress or, as the case may be, Conference, or within such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow and, in the event of failure to re-export as aforesaid, to pay the duty which would have been levied thereon but for the exemption contained herein :

Provided that the requirement of re-export as specified in this condition shall not apply to goods expendible or perishable nature, if the Assistant Collector of Customs is satisfied that such goods have actually been rendered waste or have been used up in the maintenance of such Fair, Exhibition, Demonstration, Seminar, Congress or as the case may be, Conference, and in a case where the goods are rendered waste but are not used up, such goods are either surrendered to the customs authority or destroyed in the presence of an officer of customs :

Provided further that any advertisement and publicity material in the nature of posters, booklets, catalogues, books or pamphlets are used for free distribution and if not so distributed, are re-exported by the importer within the period specified in this condition and not sold by him under any circumstances ;

(iii) a valid Import Trade Control licence or Customs Clearance Permit covering the goods in question, wherever required by or under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) or the Imports (Control) Order, 1955, is produced to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the goods; and

(iv) any procedure for the proper listing and identification of the goods, that may be prescribed by the Collector of Customs, is adhered to.

Explanation — In this notification, "goods" includes —

(a) (i) advertisement and publicity materials such as posters, booklets, catalogues, books and pamphlets; and

(ii) advertising and demonstration material (which is demonstrably publicity material for the foreign goods displayed), such as sound recordings, films and lantern slides as well as apparatus for use therewith;

(b) goods necessary for the purpose of demonstrating foreign machinery or apparatus to be displayed;

(c) equipments including interpretation apparatus and sound recording apparatus;

(d) construction and decoration materials and electrical fittings for the temporary stands of exhibitors.

[No. 116/F. No. 464/26/77-Cus. V]

सा. का. नि. 339(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 104-सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"219 सं. 116-सीमा-शुल्क, तारीख 1 जून, 1979"।

[सं. 117-सीमा-शुल्क/फा. सं. 464/26/77-सी. शु. 5]

एस. बसु, अवर सचिव

G.S.R. 339(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Revenue, No. 104-Customs, dated the 10th May, 1979, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 218 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"219 No. 116-Customs, dated the 1st June, 1979".

[No. 117-Customs/F. No. 464/26/77-Cus. V]

S. BASU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979